

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 151/20 ता0रजु 6-1-2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-02-2020

सरकार

बनाम

बाबू पूर शम्भुन्द

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खेवली गडानिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खेवली गडानिया के खसरा नम्बर 2255 रकवा 1.89 हैक्ट.


किस्म भूमि खसरागाह पर सम्बत 2076 में श्री बाबू पूर शम्भुन्द, पति-जसव ने खेवली गडानिया तह0 बयाना ने 0-16 हैक्टर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2255 रकवा 0-16 हैक्ट. वाके ग्राम खेवली गडानिया से बेदखल किया जाता है। लगान 2-56 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 1285 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी / अवैध कब्जा / बेदखली बाबत हल्का पटवारी / गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 24/2/20
128/



नायब तहसीलदार
बयाना

बहुत धन्यवाद